<u>प्रेस नोट जनपद खीरी</u>

<u>दिनाँक 07.06.2021</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः-

<u>थाना निघासन पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त गुफरान को किया गया गिरफ्तार</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में वारण्टी/वाछिंत अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के दौरान आज दिनांक 07.06.21 को थाना कोतवाली निघासन पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 305/21 धारा 354/323/504/506 भादवि व 3(2)(5)(क) व 3(1) (द)(ध) एससी एसटी एक्ट व 7/8 पॉक्सों एक्ट में वांछित अभियुक्त गुफरान पुत्र जाहिद निवासी ग्राम जम्हौरा थाना निघासन जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 श्री लाल बहादुर मिश्र
2. हे0का0 मो0 अली

थाना मितौली पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त रिजबान पुत्र बसीर को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में वांछित/ वारण्टी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना मितौली पुलिस द्वारा आज दिनांक 07/06/2021 को मु0अ0सं0 105/2021 धारा 306 भादवि के वांछित अभियुक्त रिजबान पुत्र बसीर नि0 गौरिया थाना फरधान जनपद खीरी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

<u>**थाना मितौली पुलिस द्वारा 18 लीटर अपमिश्रित शराब के साथ दो अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार**</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद खीरी द्वारा अवैध शराब की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय के दिशा निर्देशन में थाना मितौली पुलिस द्वारा दिनांक 07/06/2021 को अभियुक्त विनोद कुमार पुत्र रामसिंह निवासी ग्राम खमरिया थाना मितौली जनपद खीरी उम्र करीब 30 वर्ष के कब्जे से 10 ली0 अपमिश्रित शराब के साथ तथा अभियुक्त विद्यासागर पुत्र रामलखन नि0 रमपुरवा थाना मितौली खीरी को 8 लीटर अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरन के साथ गिरफ्तार किया गया उक्त अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना हाजा पर मुकदमा अपराध संख्या 197/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम, 272 भादवि तथा 198/2021 धारा 60(2) आबकारी अधि0 व 272 भादवि पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु विधिक कार्रवाई की जा रही है ।

थाना ईसानगर पुलिस द्वारा 01 नफर अपहृता को सकुशल बरामद कर परिजनों के किया गया सुपुर्द

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में थाना ईसानगर पुलिस आज दिनांक 07.06.21 को मु0अ0सं0 243/21 धारा 363/366 भादवि की अपहृता को सिसैया चौराहा से सकुशल बरामद कर उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया है।

<u>थाना पसगवां पुलिस द्वारा 01 नफर अपहृता को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में थाना पसगवां पुलिस द्वारा आज दिनांक 07.06.21 को हिमालय ढाबा से मु0अ0सं0 248/20 धारा 363/366 भादवि की 01 नफर अपहृता को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया।

थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा 01 नफर लापता अपहृता को सकुशल बरामद किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 117/21 धारा 363/366 भादवि में 01 नफर लापता अपहृता को महेशपुर नया गाँव मोड़ से सकुशल बरामद कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पीआरवी की सक्रियता से संदिग्ध व्यक्ति को अवैध तमंचा व कारतूस सहित किया गया गिरफ्तार

दिनांक 05.06.21 को पीआरवी 2853 थाना मैगलगंज अन्तर्गत एक कॉलर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति संदिग्ध हालत में घूम रहा है।

सूचना पर पीआरवी 2853 द्वारा तत्काल मौके पर पहुँच कर देखा कि एक व्यक्ति संदिग्ध हालत में घूम रहा है जिसकी तलाशी ली गयी तो उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 03 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया, जिसके संबंध में थाना मैगलगंज पर मु0अ0सं0 298/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गई।

थाना तिकुनिया पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध चाकू बरामद कर अभियुक्त सतीश पुत्र रामचन्द्र को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत तिकनिया पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध चाकू बरामद कर अभियुक्त सतीश पुत्र रामचन्द्र निवासी तकियापुरवा थाना तिकुनिया जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना तिकुनिया पर आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेजा गया है।

अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 345 लीटर अवैध शराब, 04 शराब भट्ठी बरामद कर 15 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय ढुल के निर्देशन में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **345 लीटर अवैध कच्ची शराब, 04 अवैध शराब भट्ठी** व शराब बनाने के विभिन्न उपकरण बरामद कर **15 अभियुक्तों** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **15 अभियोग** पंजीकृत किए गए। आगे भी अवैध शराब के विरुद्ध लगातार अभियान चलाकर गिरफ्तारी एवं बरामदगी निरन्तर प्रचलित रहेगीं।

<u>अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **<u>345 लीटर अवैध कच्ची शराब</u>** बरामद कर **<u>04 अवैध शराब भट्टी बरामद कर 15 अभियुक्तों</u>** को गिरफ्तार किया गया है। विवरण निम्नवत हैः-

क्र0 सं0	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना गोला	100 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना सिंगाही	40 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना सम्पूर्णानगर	40 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
4.	थाना मितौली	35 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
5.	थाना तिकुनिया	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
6.	थाना मैलानी	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
7.	थाना पसगवां	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
8.	थाना भीरा	20 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
9.	थाना मैगलगंज	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
10.	थाना पलिया	15 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
11.	थाना खीरी	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
12.	थाना गौरीफंटा	05 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	345 लीटर	15 अभियुक्त गिरफ्तार